को, बढ़ती हुई लागतों के निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा इसके उपयोग को और अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए।

7. जी० ई० एफ० एक ज्ञान हब्ज़ी बनी रहनी चाहिए और इसकी मॉनीटारिंग तथा मूल्यांकन कार्यों को सुदृढ किया जाना चाहिए तथा प्रापक देशों द्वारा नई प्रोद्योगिकियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. यू० एन० कन्वैंशन के सचिवालय के परामर्श से मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जी० ई० एफ० को भूमि के अवक्रमण विशेष कर मरुस्थलीकरण तथा वन कटाव और इसके मुख्य क्षेत्रों तथा भूमि के अवक्रमण संबंधी गतिविधियों के लिए जी० ई० एफ० की सहायता को बढ़ाने चूंकि वे जी० ई० एफ० के मुख्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, के बीच अनुबन्धों को और अधिक अच्छे ढंग से परिभाषित करना चाहिए।

9. जी० ई० एफ० क्रियान्वयन एजेंसियों को विश्व पर्यावरणीय कन्वैंशन के साथ क्रियान्वयन ऐजेंसियों के शासी निकायों के प्राधिकरण का पालन करते हुए उनके नियमित कार्यों और समनुरूप की परिस्थितियों के भीतर विश्वव्यापी पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

10. जी० ई० एफ० को विश्वव्यापी वैज्ञानिक समुदाय विशेषकर प्रापक देशों में राष्ट्रीय वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के साथ प्रगाढ़ संबंध तथा नेटवर्क स्थापित करने चाहिए।

11. जी० ई० एफ० को द्विपक्षीय विधिकरण संगठनों सहित दूसरे स्त्रोतों के द्वारा इसकी गतिविधियों के समन्वय तथा सह-वित्तप्रबन्ध को बढ़ावा देना चाहिए तथा दस्तावेज के पैरा 28 में उल्लिखित तत्वों विशेषकर क्षेत्रीय विकास बैंकों तथा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन के अवसरों को विस्तृत करना चाहिए।

12. जी० ई० एफ० को सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही स्त्रोतों से अतिरिक्त संसाधन लाभबन्द करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी० ई० एफ० को एक प्रायोगिक बदलाव के लिए मंच के रूप में निजी क्षेत्र के लिए भागेदारी तथा उसी प्रकार से निजी-सार्वजनिक संयुक्त उद्यमों के लिए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए।

देश की एक-तिहाई भूमि को वन-भूमि में परिवर्तित किया जाना

3398. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुल भूमि में से एक-तिहाई भूमि को वन-भूमि में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु श्री ए० के० मुखर्जी की अध्यक्षता वाली किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह प्रतिवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ था, इस प्रतिवेदन का पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां

सरकार ने वनीकरण नीतियों तथा परती भूमियों के पुनरूद्धार के पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के संदर्भ में श्री ए० के० मुखर्जी, वन महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी:—

1. वनीकरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना तथा निधिकरण संसाधनों में वृद्धि सहित देश में वनीकरण गतिविधियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अन्योपायों का सुझाव देना।
2. भारत सरकार के वनीकरण उद्देश्यों के लिए वर्तमान संस्थानिक प्रबंधों की पुनरीक्षा करना और अच्छी कार्यक्षमता एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बदलाव के संबंध में सुझाव देना।
3. संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश में संयुक्त वन प्रबंधन (जे० एफ० एम०) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करना तथा कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त बदलाव संबंधी सुझाव देना।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को रिपोर्ट 31.1.1998 को प्राप्त हुई थी। कमेटी ने सिफारिश की है कि भविष्य में वनीकरण तथा जे एफ एम की कार्यनीति का निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा दिशा-निर्देशन किया जाना चाहिए:—

1. कुल भूमि क्षेत्र के 33% भाग को वन आवरण के तहत लाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमि क्षेत्र के 100 मिलियन हेक्टेयर को वन आवरण के तहत लाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह होगा कि रिकार्डिड वन भूमि का लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी परती भूमियों का 30 मिलियन हेक्टेयर वानिकी उद्देश्यों के लिए छोड़ना होगा।

2. इन गतिविधियों से अवक्रमित वनों में 15.5 मिलियन हेक्टेयर पर सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुद्धार, अवक्रमित वन भूमि में 15.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वानिकीकरण तथा "सिल्वीपास्चर" तथा कृषि वानिकी, खेत वानिकी, "सिल्वी पास्चर" जैसे कार्य करना तथा इसी तरह के कार्यों द्वारा 30 मि० हेक्टेयर अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी बंजर भूमि को इनके तहत लाना।

3. इनके परिणामस्वरूप अगले 20 वर्षों में 33% के राष्ट्रीय लक्ष्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक वानिकीकरण तथा सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुद्धार "सिल्वीपास्चर" आदि गतिविधियां 3 मिलियन है० क्षेत्र पर करनी होगीं। वर्तमान वार्षिक दर केवल 1.2 मिलियन हेक्टेयर है। इसलिए, यह कार्य काफी बड़ा है तथा इसके लिए सरकारी मशीनरी की कार्य क्षमता को सुदृढ़ करने तथा नवीन पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी।

4. वन हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है तथा यदि उपयुक्त ढंग से प्रबंध किया जाए तो नवीकरण योग्य संसाधन है। इनके प्रबंधन, उपयोगिता तथा संरक्षण को इनकी लम्बी अवधि तक सुरक्षा तथा सतत विकास की प्राप्ति के लिए इसकी पारिस्थितिकीय उपयोगिता तथा नवीकरण योग्य स्वभाव से लाभ उठाने वाली नीतियों तथा कार्य नीतियों द्वारा दिशा-निर्देशित किया जाना चाहिए।

5. वनों का विद्यमान रहना, वनों में रहने वाले समुदायों तथा इसी तरह से वनों में तथा उनके आसपास रहने वाले वनों पर निर्भर ग्रामीणों के साथ जुड़ा हुआ है। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से भविष्य की एक वानिकीकरण तथा वन पुनरुद्धार कार्य नीति को इस तरह के समुदायों को वन संसाधनों के विकास, संरक्षण तथा सतत उपयोगिता में साझीदार होने के योग्य बनाने के लिए इन समुदायों की पहचान, संस्कृति तथा अधिकारों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

6. अवक्रमित वन भूमि तथा अन्य परती भूमि के विकास से संबंधित किसी भविष्य की कार्य नीति में इनकी पहचान नवीकरण योग्य ऊर्जा, चारा, लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के सतत तथा पर्यावरण के अनुकूल स्रोत के रूप में की जानी चाहिए।

7. अवक्रमित वन भूमियों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बंजर भूमियों में वनीकरण तथा उनका पुनःस्थापन संबंधी कार्य बहुक्षेत्रीय स्तर पर होना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों अर्थात् कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, जनजातिय विकास तथा अवसंरचना संबंधी सुविधाओं में कार्य-कलाप अवश्य किया जाना चाहिए ताकि कार्य-नीति पर उनके कार्यों के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया जा सके।

8. वनीकरण तथा अवक्रमित वन भूमियों के पुनःस्थापन संबंधी भविष्य की कार्य-नीति में अभिनिर्धारित "स्टेक होल्डरों" की भूमिका पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और उक्त कार्य में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9. वानिकी संबंधी जलवायु परिवर्तन तथा मरुस्थलीकरण से निपटने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की विशेषतः जैव-विविधता के सम्मेलन के लिए एजेंडा-21 और जी ई एफ के अंतर्गत अधिक से अधिक सहायता दिए जाने के प्रयास करने चाहिए।

10. वनों की बेहतरी के लिए दावानल पर नियंत्रण।

11. अवक्रमण को रोकने के लिए वन क्षेत्र में चराई को विनियमित करना।

12. सारे देश में बंजर भूमि का समुचित मूल्यांकन और उनकी पहचान करना।

इन सिद्धांतों के आधार पर समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

क. संसाधन जुटाना:

(i) योजना आयोग से वनीकरण कार्यक्रम के लिए और अधिक धन प्राप्त करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ठोस प्रयास किए जाएं। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि पर्यावरण और वन मंत्री, भारत सरकार द्वारा वनीकरण के लिए उपलब्ध निधियों की वृद्धि करने से संबंधित मामले पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(ii) वन क्षेत्रों तथा उनके आस-पास स्थित दो लाख गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने तथा वानिकी गतिविधियों के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए समिति, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी आर डी ए) की तर्ज पर संयुक्त वन प्रबंधन और विकास एजेंसियों का सृजन करने के पक्ष में है।

(iii) प्रत्येक राज्य को वन उत्पादों की बिक्री के परिणामस्वरूप एकत्र किए गए राजस्व के कम से कम 25% हिस्से को वन विभाग के अन्तर्गत वन विकास निधि में जमा करना चाहिए जो कि अवक्रमित वनों तथा पुनः स्थापन तथा प्राकृतिक वनों आदि में पुनर्निवेश किया जाए।

(iv) वानिकीकरण गतिविधियों में निवेश के लिए प्रदूषक उद्योगों की वार्षिक बिक्री का कम से कम 1% "सैश फंड" की स्थापना के लिए निर्धारित की जाए।

(v) नई परियोजना की परियोजना लागत के 5% राशि और वर्तमान परियोजनाओं की वार्षिक चालू लागत का 1% को "कैचमेन्टस और कमांड एरियां" में वनीकरण एवं जल विद्युत परियोजना कोष में निवेश में सम्मिलित करने के लिए रखा जाए।

(vi) अवक्रमित वन भूमियों के पुनःस्थापन हेतु छूट दी गई ब्याज दर तथा ऋणों की अदायगी पर 15 साल के लिए स्थगन या अंतिम फसल कटाई, जो भी पहले हो के लिए सांस्थानिक निधिकरण की संभावनाओं का पता लगाना। समिति ने यह भी सिफारिश की है राज्य वन निगमों द्वारा किए गए पौधरोपण का पारिस्थितिकी तथा आर्थिक दृष्टि से प्राप्त किए गए लाभों के संदर्भ में गुणावगुण आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास निगमों की तर्ज पर वानिकीकरण परियोजनाएं विकसित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों की पहचान करने में राज्य वन निगम को मदद करनी चाहिए।

(vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वानिकी गतिविधियों को, विशेषकर एजेंडा 21 तथा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के तहत बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/वित्तदाताओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

(viii) अपवर्तक और अत्यधिक अवक्रमित वन भूमियों के उत्पादक उपयोग के लिए ऐसी भूमियों पर उच्च प्रौद्योगिकी आधारित पादपरोपण के लिए सहकारी समितियों और वन विभाग निगम को शामिल करने के लिए।

(ix) केवल पट्टे के आधार पर निजी भूमियों पर पादपरोपण को बढ़ाने के लिए भूमि जोत को शिथिल किया जाए।

(ख) संस्थाः एवं नीति विषयः

(i) वनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता कर-साख (टेक्स क्रेडिट) और अन्य प्रोत्साहनों से संबंधित नीति निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ दल की स्थापना करना।

(ii) वानिकी और अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुधन, शहरों को हरा-भरा करने जैसे अन्य क्षेत्रों के बीच सम्पर्क स्थापित करना ताकि वानिकी वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाए।

(iii) समिति ने संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिविकास बोर्ड के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच की तथा यह सिफारिश की कि विशेषज्ञ दल की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए बशर्ते कि उनमें कुछ संशोधन किया जाए।

(iv) समिति, राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड (एन ए ई बी) और राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के विलय की सिफारिश करती है और इन निकायों की अध्यक्षता व्यावसायिक वन फारेस्टरों द्वारा की जानी चाहिए।

(v) पर्यावरण और वन मंत्रालय और राज्य वन विभागों में संयुक्त वन प्रबंधन के लिए एक प्रथक कक्ष का सृजन।

(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय में नीति विकास केन्द्र की स्थापना।

(vii) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जी आई एस के इस्तमाल से परती भूमियों का मूल्यांकन प्रारम्भ किया जाए।

(viii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा विस्तार कार्यों को तेजी से किया जाना चाहिए और गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्वालिटी प्लांटिंग मेटीरियल) के उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बीज और रोपण सामग्री प्रमाणन अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए; प्रेयोक्ताओं की सहभागिता से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा प्रयोग प्रदर्शन किए जाने चाहिए।

(ix) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उपयुक्त उत्पादन आंकडा संग्रह तथा गैर-काष्ठ वन उत्पादों की मार्किट तथा व्यापार-नीतियों की मानिटरिंग की जानी चाहिए।

(x) प्रादेशिक विशेषज्ञ दल की स्थापना के माध्यम से वनीकरण विषय पर प्रादेशिक परामर्श करने के संबंध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी है।

(xi) उप-वन महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को जैव विविधता और मरुस्थलीकरण नियंत्रण प्रभाग में तैनात किया जाना चाहिए और वे सभी फाइलें, जिन्हें पर्यावरण और वन सचिव और मंत्री के पास वनीकरण गतिविधियों के लिए निधियां मांगने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, उन्हें वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(xii) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड की चराई नीति के कार्यान्वयन हेतु।

की गई कार्रवाई: समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए तथा देश के वन आवरण को बढ़ाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में 2.7.98 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

Abandonment of Ganga Action Plan by the West Bengal Government

3399. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT & FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the centrally sponsored project of Ganga Action Plan has been abandoned by the West Bengal Government because Centre has refused to sanction funds for this;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) whether it is possible to generate funds for the completion of Ganga Action Plan so as to derive the benefit of pollution free water of Ganges in its entire course?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Suitable allocations have been provided in the 9th Plan to meet the Central share in the scheme of the Ganga Action Plan Phase II.

Privatisation of Degraded Forest Lands

3400. DR. B. B. DUTTA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various sectors of industry have been lobbying for privatisation of degraded forest lands to get control over raw production;

(b) if so, details thereof alongwith Government's reaction thereto;

(c) whether Government have set up any committee for updating the National Forest Policy, 1988; and

(d) if so, the main recommendations made by the said committee alongwith action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) and (b) The paper manufacturing industry has been demanding access to severely degraded forest lands to set up captive plantations for meeting their raw material requirement by involving the industries/private entrepreneurs. The Planning Commission has constituted a working group in June, 1997 on the prospectus of leasing out the degraded forest land to the private entrepreneurs/